Regd. No. S.P.S. 123.

Regd. No. N. 1239

राजस्थान राज-पत्र

प्रथम भाग

Rajasthan Gazette

PART I

साधिकार प्रकाशित

[Published by Authority

जिल्द १: संख्या १७३	फाल्गुन शुक्ल १५, शनिवार, सम्वत् २००६ विक्रमी	मार्च ४, १९५०
Vol. 1: No. 173	Falgun Shukla 15, Saturday, 2006	March 4, 1950

पृथक संग्रहीकरण की सुविधा की दृष्टि से इसके प्रत्येक भाग में पृष्ठ संख्या पृथक २ दी गई है।

विषय-सूचि

प्रथम भाग—सरकारी आज्ञायें, नियुक्ति, स्थाई नियुक्ति, स्थानान्तरण और स्थानापन्न आदि से सम्बन्धित विज्ञप्तियां	पृष्ठ २३६–२४४	भूमि-प्राप्ति की सूचनायें, विक्रय विज्ञप्तिकरण, टेण्डर नोन, आंकड़ों सम्बन्धी सूचनायें, आदि	पृष्ठ ४४७–४६२
द्वितीय भाग—अन्य कार्यालयों, प्रधान कार्यालय, अधीनस्थ न्यायालयों व अधीनस्थ विभागों व कार्यालयों, स्थानीय संस्थाओं, साधिकार ठिकानों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियां, पब्लिक सर्विस कमीशन की सूचनायें,		तृतीय भाग—बिल—बिलों, आज्ञाओं या नियमों आदि पर विशिष्ट समितियों की रिपोर्टें	..
		चतुर्थ भाग—विधान, आर्डिनेंस, नियम व प्रबन्ध-नियम व अपने अन्तिम रूप में उनके अन्तर्गत उप-नियम व आज्ञायें	४७१–४९०

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग

विज्ञप्तियां

जयपुर, फरवरी १७, १९५०

संख्या ए-१ (१०) फोरेस्ट/४९.—इस नोटिस के जरिये इत्तिला दी जाती है कि जोधपुर के परगनेजात पाली, देसूरी, सोजत, बाली, तहसील सिन्दरा (पहाड़ आबावाला) (पहाड़ बाली, बयाल से खुड़ियाला, गंडोराव, नणी और सीदांवाद वगैरह) सीवाणा (पहाड़ छप्पन सेल, कुण्डल वगैरह) जालोर (पहाड़ रोजा, फिलावाली, एचराना वगैरह) जसवन्तपुरा (पहाड़ सूंडा, दोरड़ा वगैरह) और जोधपुर (पहाड़ मचीया, चामना, सोनीसरा, लालसागर, देवकुण्ड, भूतेश्वर, जोड़ ख्वासजा की बावड़ी, बीतर तारामंडी वगैरह) में रक्षा जंगलात मनुजिब कवायद इन्तजाम जंगलात मारवाड़ में मद्कूर किया जाकर उनकी मौके पर सीमाबंदी (जो इस वक्त भी मौजूद है) की जाकर जिम्मेवारी महकमा जंगलात रहते आ चुके हैं और इन मुतफर्के पहाड़ों की जमीन को रक्षित हुआ जंगल करार दिया जाकर राजपत्र में इश्तिहार भी शाया किया जा चुका है। फिर उसी सिलसिले में मारवाड़ फारेस्ट एक्ट, १९३४, की दफा ४ व ६ के तहत इश्तिहार हाजा जारी किया जाकर सबको आगाही दी जाती है कि इन जंगलों में (जिनकी कि हदूद सरकारी तौर से कोने नसबलाई गई है और जिनकी मुफस्सिल हदूद महकमे जंगलात में 'Topographical' नक्शे बने हुए मौजूद हैं जिनमें देखी जा सकती है) पैदावार जंगल बगैर तहरीरी इजाजत महकमे जंगलात से हासिल किये कोई शख्स काटेगा, नुकसान पहुंचायेगा, इकट्ठी करेगा, निकास करेगा, या चराई मवेशी करेगा और कोई किस्म का नुकसान करेगा या दूसरे से करावेगा। ऐसी नाजायज तौर पर काटी हुई, इकट्ठी की हुई या निकास की हुई पैदावार खरीदेगा या बेचेगा या किसी किस्म का, दीगर नुकसान मुताबिक दफा २६ फोरेस्ट एक्ट के करेगा जो कि जिलापन्वर्ती कानून जंगलात, सन् १९३४, मुताबिक दफा जुर्म के मुजिब कवायद जंगलात सजा पाने का मुस्तहक होगा।

परगना बाली में [illegible], तहसील [illegible] तक (आबुपहाड़ की हद)---सीमाना ठंडी चोरी से लगाकर सुमेल वावरा तक जो पहाड़ अड़ावला Aravali hills की शाखा Range गई है और जिसके पूर्व में उदयपुर व अजमेर की सरहद व दक्षिण में सिरोही की सरहद व पूर्व में मारवाड़ का गांव आसनियावास व लूणी नदी निकलती है और पश्चिम में मारवाड़ के गांव नाणी बेड़ा, बीजापुर, सेवाड़ी, छाटाड़ा, सादड़ी, घाणेराव, पट्टा के गांव देसूरी, नागोल, कोट जोजावर, फुलाद, सारण, कंटालिया, बड़ागुडा, बीजांजी का गुडा, सोड़िया, कालव, पचानपुरा, दीपावास, काणंजा वरवराटिया, गिरी, वावरा और सुमेल वगैरह है जिसकी कुछ जमीन भी उसी रक्षत जंगल में शामिल है।

तहसील सेन्दड़ा Retroceded Area के पहाड़ की हद---[illegible] कोट किराना, बगड़ी, सीरमण, सोवाड़, चाँग जिसके पूर्व में अजमेर की सरहद व उत्तर व दक्षिण में अजमेर व पश्चिम में मारवाड़ के जंगल [illegible], कालव, [illegible] वगैरा वगैरा की सरहद लगती है।

परगना परवतसर---१. वसी से मंडोवरी तक एक पहाड़ (वसी से मंडोवरी तक) की शाखा जो चली गई है जिसके उत्तर-पूर्व में किशनगढ व पूर्व व दक्षिण में अजमेर व पश्चिम में मारवाड़ के गांव वसी, मवाल, मायापुर, [illegible], खुंदियासर, मंडोवरी वगैरह हैं जिनकी कुछ जमीन भी उस रक्षत जंगल में शामिल है।

२. [illegible] विदियाद-जिसके उत्तर में गुणावटी पूर्व में [illegible], दक्षिण में [illegible] के [illegible] की सरहद लगती है।

३. [illegible] की--जिसके पूर्व में अजमेर मेरवाड़ा की सरहद लगती है।

परगना सीवाणा---१. पहाड़ छपन्ना की एक शाखा [illegible], मोकलसर से होती हुई गुगरोट, गोलिया, पीपलून, [illegible], सनेर को गई है जिसके उत्तर में [illegible], [illegible], [illegible], गोलिया, [illegible], [illegible], सनेर व गांव की सीमा और दक्षिण में [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] और पूर्व में [illegible] जोधपुर रेल्वे लाइन है और [illegible] में [illegible] गांव की सीमा लगती है।

२. पहाड़ (मेला कुण्डल) की एक दूसरी शाखा इस परगने में जो जनपुर मेला से होती हुई कुण्डल की तरफ गई है और जिसके उत्तर में जनपुर, मेला, कुण्डल के गांव की सीम व दक्षिण में [illegible], तेलवाड़ा की सीम और पश्चिम में कुण्डल और पूर्व में [illegible] गांव की सरहद लगती है।

परगना जालौर---१. एक पहाड़ (रोजा, कला-वाला) की शाखा इस परगने में जालौर से पहाड़ को गई है जिसके उत्तर में पहाड़पुरा, दक्षिण भागली, पूर्व में जालौर और पश्चिम में [illegible], [illegible], बीजोपुरा के गांव की सीमा लगती है।

२. पहाड़ ([illegible]) की एक और शाखा इस परगने में गांव [illegible], पांडगढा राजन-वाड़ी [illegible] के [illegible] में आई हुई है।

परगना जसवन्तपुरा---पहाड़ (दोरड़ा) की एक शाखा गांव दोरड़ा व राजीरावास के बीच में आई हुई है जो पहाड़पुरा से [illegible] को गई है जिसके उत्तर में [illegible] पश्चिम में पहाड़पुरा राजीरावास व दक्षिण में [illegible] व पूर्व में [illegible], दोरड़ा की सरहद है।

पहाड़ सूंढामाताजी की एक और शाखा इस परगने में गांव राजपुरा दांतलावास से उनमत तक गई है जिसके उत्तर में राजपुरा, दांतलावास, दक्षिण में उनमत व पूर्व में [illegible], [illegible] और पश्चिम में [illegible], [illegible] के गांव की सरहद लगती है।

परगना जोधपुर---१. पहाड़ देवकुण्ड, २. पहाड़ भोगीशैल, ३. पहाड़ [illegible], नाचीया, ४ पहाड़ लाल सागर ५. पहाड़ [illegible] ६. जोड़ व्यासजी की वावड़ी।

(यादवेन्द्र सिंह चूण्डावत)
[illegible] वन संरक्षक, जालोर

Scanned with CamScanner